दूरभाष : 0522–2720381
फैक्स : 0522–2720382

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0,
किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः निदे0कैम्प/2012– 08 दिनांकः 03 फरवरी, 2012

आदेश

मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मण्डी परिषद के क्षेत्रीय निर्माण खण्डों द्वारा धन मॉग संबंधी जो पत्रावलियॉ मुख्यालय प्रेषित की गयी है वह मुख्यालय पर लम्बित है। कुछ निर्माण खण्डों द्वारा धन मॉग संबंध पत्रावली ही मुख्यालय को प्रस्तुत नही की जा रही है। इस कार्यवाही से यह भ्रॉति व्याप्त हो गयी है कि अभी धन मॉग संबंधी पत्रावलियों पर निर्णय नही लिया जाना है। धन मॉग संबंधी पत्रावली के संबंध में जानकारी करने पर बताया जाता है कि पत्रावली अभियंत्रण शाखा में लम्बित है और जब अभियंत्रण शाखा से जानकारी की जाती है तो बताया जाता है कि पत्रावली लेखा शाखा में लम्बित है जबकि लेखा शाखा से जानकारी करने पर बताया जाता है कि पत्रावली अभियंत्रण शाखा में लम्बित है। यह स्थिति कदापि उचित नही है। धन मॉग संबंधी मुख्यालय में प्राप्त जिन पत्रावलियों में पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हो, उनका परीक्षण तत्काल सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है। समिति के अधिकारीगण अपने सहयोग के लिए जिस अधिकारी/कर्मचारी को चाहे, अपने साथ सम्बद्ध कर सकते हैं :–

1–वित्त नियंत्रक

2–मुख्य अभियंता

उक्त समिति द्वारा मुख्यालय पर दिनॉक 03.02.2012 तक प्राप्त धन मॉग संबंधी समस्त पत्रावलियों का परीक्षण करते हुए दिनॉक 04.02.2012 की शाम तक अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित अनिवार्य रुप से प्रस्तुत की जाये।

2– भविष्य में धन मॉग संबंधी जो भी पत्रावली मुख्यालय पर प्राप्त होगी उसका परीक्षण उक्त समिति द्वारा त्वरित गति से करते हुए दो दिन के भीतर अनिवार्य रुप से आदेश हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3– विभिन्न निर्माण खण्डों द्वारा पूर्ण किये गये निर्माण के विरुद्ध देय भुगतान हेतु अपना मॉग पत्र परिषद द्वारा निर्धारित प्रारुपों एवं निर्देशों के अनुसार तत्काल प्रस्तुत किया जाये।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त कार्यवाही में किसी भी स्तर पर अनावश्यक बिलम्ब की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

03/2/12

(बीरेश कुमार)
मण्डी निदेशक

पृष्ठॉकन तद्दिनॉक

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर निदेशक(प्रशासन) मण्डी परिषद मुख्यालय।

2–वित्त नियंत्रक,मण्डी परिषद,मुख्यालय।

3–मुख्य अभियंता, मण्डी परिषद,मुख्यालय।

4–समस्त उपनिदेशक(निर्माण)/(वि0यॉ0) मण्डी परिषद,उत्तर प्रदेश।

5–आदेश/गार्ड फाइल हेतु।

03/2/12

मण्डी निदेशक